



प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
उ0प्र0, लखनऊ।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 02 सितंबर, 2026

विषय:-क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, मेरठ व गोरखपुर में स्थापित कराये गये 01-01 अदद संयंत्रों के क्रय के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफ0एस0डी0ए0/2026-27/4033, दिनांक 07.08.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित 02 इन्वाइस के भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया था:-

क्र0 सं0	प्रयोगशाला का नाग	इन्वाइस सं० व दिनांक	इन्वाइस की कुल धनराशि
1	क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, मेरठ	GST/25-26/375, दिनांक 27.10.2025 Order No. GEMC-511687792759856, दिनांक 09.06.2025	7,14,285/-
2	क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, गोरखपुर	GST/25-26/384, दिनांक 31.10.2025 Order No. GEMC-511687792759856, दिनांक 09.06.2025	7,14,285/-
कुल योग			14,28,570/- (रूपये चौदह लाख अट्ठाइस हजार पांच सौ सत्तर मात्र)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, मेरठ व गोरखपुर में स्थापित कराये गये 01-01 अदद 300 KVA Servo Voltage Stabilizer with Phase Corrector संयंत्रों के क्रय का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-036 के लेखाशीर्ष "4210-04-107-03-राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण" 26-मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र के मानक मद में प्राविधानित/उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 14,28,570/- (रूपये चौदह लाख अट्ठाइस हजार पांच सौ सत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति दिये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु दिशा-निर्देश विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

करने हेतु दिशा-निर्देश विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (2) प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (3) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।
- (4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (7) उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,28,570/- (रुपये चौदह लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ सत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 036 लेखा शीर्षक 4210041070300 राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण मानक मद 26** मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्या-76/2026/1/1450240/2026/001-88-102(001)/2/2023, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- वित्त नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिजित
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।